आपदा मुक्त हिमालय की दिशा में मांग पत्र: पीपल फॉर हिमालय अभियान 2024

पीपल फॉर हिमालय अभियान, हिमालय क्षेत्र के प्रगतिशील समूहों, नागरिक सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की एक स्वायत पहल है। इस अभियान का किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है।

1. **भूमि उपयोग भूमि आवरण के परिवर्तन की नियमित निगरानी और योजना**

- सभी बड़ी निर्माण परियोजनाओं - रेलवे, बांध और चार लेन राजमार्गों पर पूर्ण रोक और मौजूदा परियोजनाओं के सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और पारिस्थितिक प्रभावों की बहु-विषयक समीक्षा
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1994 को मजबूत करके बड़ी परियोजनाओं पर जनमत संग्रह और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से लोकतांत्रिक निर्णय लेना, सभी बड़ी विकास-निर्माण परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं और निगम इकाईयों की पूर्व सूचित सहमति को अनिवार्य करना - लोकतांत्रिक निर्णय प्रणाली को चोट पहुंचाते EIA 2020 संशोधन और FCA 2023 संशोधन को रद्द करना
- शहरीकरण, वाणिज्यिक विकास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए आपदा और जलवायु जोखिम/प्रभाव अध्ययन और भूमि संवेदनशीलता आकलन अनिवार्य करना
- मुआवज़े और पुनर्वास के कानूनों को न्यायापूर्वत ढंग से लागू करना जैसे 2013 उचित मुआवजा और पुनर्वास का अधिकार अधिनियम
- प्रदूषण और भूमि उपयोग परिवर्तन के कार्यों जैसे स्टोन क्रशर, रेत-बजरी-धातु खनन, मक्क डंपिंग और हर व्यावसायिक निर्माण कार्यों की निगरानी में नागरिकों और ग्राम सभाओं की भागीदारी सुनुश्चित करना

2. **प्रकृति आश्रित समुदायों के लिए भूमि और वन संसाधन अधिकार, प्रकृति आधारित आजीविका और संरक्षण को मजबूत करना**

- प्रकृति पर निर्भर समुदायों के निजी और सामुदायिक संसाधन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य कानूनों और विनियमों को मजबूत करना - उदाहरण के लिए उत्तराखंड में वन पंचायत नियमावली
- भूमिहीन और विस्थापित समुदायों को भूमि आधारित आजीविका के लिए सुरक्षित भूमि पर स्वामित्व प्रदान करने के लिए भूमि सुधार और भूमि नियमितीकरण के एजेंडे को पूरा करना - उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में नौतोड़ नियम
- विकेंद्रीकृत, स्वायत्त और लोकतांत्रिक शासन और निर्णय प्रक्रिया के लिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों को न्यायपूर्वक और समयबद्ध तरीके से लागू करना- उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य-परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 और अन्य संवैधानिक प्रावधान (राज्य की मांगों के अनुसार)
- वन अधिकार कानून, 2006 जैसे कानूनों के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के माध्यम से जैव विविधता प्रबंधन एवं संरक्षण को मजबूत करना - पाइन (चीड) मोनोकल्चर को चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में परिवर्तित करना; चारे की कमी, जंगल की आग और मिट्टी के कटाव पर कार्य; वृक्षारोपण सामुदायिक मानदंडों और सहमति से फल, चारा, उर्वरक, ईंधन, फाइबर और औषधीय पौधों पर केन्द्रित हो और चरागाह के लिए खरपतवार उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाय

3. **ज्ञान और जानकारी का अधिकार और आदान-प्रदान**

- ग्राम सभाओं, पंचायतों, नगर निगम इकायों को सतही तैयारियों; आपदा प्रशिक्षण से नहीं बल्कि जलवायु अनुकूलन विकास और भूमि उपयोग की रणनीतियों में भागीदारी के लिए ज़रूरी जानकारी साझा करना - नैशनल मिशन

ओन सस्टेनिंग द हिमालयन ईकोसिस्टम द्वारा किये गए नये जोखिम अध्ययनों और परामर्शों में जानकारी का नियमित आदान-प्रदान जनता और प्रशासन के बीच सुनिश्चित करना

- इन सार्वजनिक परामर्शों में सभी कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
- जलवायु/आपदा परियोजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संवाद और सुनवाई के तन्त्र स्थापित करना - हिमालयी नदी घाटियों के हाइड्रोलॉजिकल डेटा का अनिवार्य सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण; सभी औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक और पर्यटन केंद्रों का हवा और पानी प्रदूषण डेटा का अनिवार्य सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण

4. लचीली और टिकाऊ पर्वतीय अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण

- आर्थिक रूप से लाभकारी कृषि-पारिस्थितिकी आजीविका व्यवस्था का निर्माण करना जो सभी के लिए सुलभ हो, उदाहरण के लिए पशुचारण और पशुपालन, अन्य कुटीर उद्योगों को मजबूत करके ऊन, मांस और डेयरी उत्पादन - विकेंद्रीकृत सौर और अन्य ऊर्जा प्रणालियों पर आधारित विकास
- फैला हुआ, पर्यावरण को बनाए रखने वाला और आर्थिक रूप से लाभकारी, क्षेत्र की वहन क्षमता का सम्मान करने वाले रिस्पोंसिबल पर्यटन को बढ़ावा देना जो की समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से विनियमित किया जाये
- प्लास्टिक/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कार्यान्वयन; शहरी क्षेत्रों में और टूरिस्टों के उपभोग, उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन
- संसाधन उपयोग और प्रबंधन की सामूहिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करना - पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संतुलन के आधार पर कौशल उन्नयन
- सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं में बड़े उत्खननकर्ता और मशीन आधारित की जगह मानव कार्यबल (पारंपरिक खनन) को बढ़ावा देना, हलकी मशीनों का प्रयोग और मलबे के लिए निपटान नीति न्यूनतम उत्पादन और अधिकतम पुन: उपयोग सुनिश्चित करना
- श्रम अधिकारों की सुरक्षा, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और इसके लिए कानूनी तंत्र स्थापित करना - पर्वतीय राज्यों में SC/ST उपयोजनाओं का उचित कार्यान्वयन।
- नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय जल प्रवाह और पेयजल के अधिकारों और स्थानीय मौजूदा सिंचाई योजनाओं की रक्षा करना
- जनसंख्या के बजाय जलागम और पारिस्थिकीय सीमाओं के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन करने पर विमर्श

5. आपदा प्रतिक्रिया को मज़बूत करना

- राज्य और स्थानीय स्तर पर आर्थिक और अन्य सहायता के अधिकार के अलावा एक समर्पित आपदा प्रतिक्रिया कोष का निर्माण - विकट आपदा की घटनाओं के मामले में हिमालयी राज्यों को केंद्र सरकार से समयबद्ध और पूर्ण सहायता
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करना - पुनःनिर्माण के साथ साथ आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और आपदा से बचाव के लिए ठोस नीतिगत कदम
- विकेन्द्रीकृत/सामुदायिक नियंत्रित आपदा प्रबंधन में महिला मंडल, युवा मंडल और पंचायतों की भूमिका का पूर्ण समर्थन
- आपदा प्रभावित भूमि के उपचार और आपदा से विस्थापितों को सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समयबद्ध छूट प्रदान
- आपदा के लिए जवाबदेही तय करना - बांध सुरक्षा अधिनियम 2022 को राज्य के सभी मौजूदा बांधों के लिए लागू करना; सीडब्ल्यूसी, आईएमपीडी जैसे संस्थानों का पुनर्गठन और सुचारू रूप से कार्यवाही में लाना; मानदंडों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्यवाही
- जवाबदेही और दोषीता तय करना - बांध सुरक्षा अधिनियम 2022 को सभी मौजूदा परियोजनाओं के लिए लागू किया जाएगा; केंद्रीय जल आयोग जैसे संस्थानों का पुनर्गठन और क्रियाशीलीकरण,राज्य बांध सुरक्षा समिति

(एससीडीएस), राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ), मौसम विभाग, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि पर मानदंडों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई

- सभी विकासात्मक कार्यों जैसे स्टोन क्रशर, रेत-बजरी खनन, नदी प्रशिक्षण और ड्रेजिंग, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजनाएँ, मलबा डंपिंग और प्रत्येक व्यावसायिक निर्माण कार्य के लिए नियमों और पर्यावरण मानदंडों को मजबूत और सख्ती से लागू करना

'पीपुल फॉर हिमालय' अभियान: घोषणा पत्र, फरवरी 2024

हिमालय में बड़े पैमाने पर घट रही जलवायु आपदाओं के अपरिवर्तनीय प्रभावों के मद्देनजर हम, 'पीपुल फॉर हिमालय' अभियान की तरफ़ से यह घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं।

१. आज पूरे हिमालय में एक तरफ़ लगातार - भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी घटनाओं ने भयावह रूप ले लिया है, तो दूसरी तरफ़ बढती गति से तापमान में वृद्धि, बारिश की प्रवृत्ति में बदलाव, बर्फबारी में गिरावट और ग्लेशियरों का लगातार पिघलने से धीरे-धीरे हिमालयी पारिस्थितकी और इस पर निर्भर समाज की आजीविकाएं और अस्तित्व ही खतरे में है। हम समझते हैं कि पिछले दो दशकों में जो बढती आपदाओं का दौर चला है ये एक ऐसी जटिल चक्रीय प्रक्रिया बन गयी है जिसके लिए पहाड़ों पर आधारित विविध समाजों को मिल के संघर्ष करना होगा। हम मानते हैं कि जिन आपदाओं को प्राकृतिक बताया जा रहा है ये प्राकृतिक नहीं हैं। वास्तव में ये आपदाएं प्रणालीगत व नीति जनित विफलताओं का नतीजा हैं। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक ऐतिहासिक शोषण और दोहन के चलते आज हिमालय आपदा ग्रस्त क्षेत्र बन गया है इसलिए यह केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का संकट है।

२. अंग्रेजों के शासनकाल से हिमालय पर या तो 'सैरगाहों' या फिर 'रणनीतिक' सीमावर्ती क्षेत्र की नज़र से शासकों द्वारा कब्ज़ा किया गया। यहाँ के जल, जंगल और ज़मीन की लूट औपनिवेशिक युग के बाद भी आज़ाद भारत में जारी रही और पिछले कुछ दशकों में विकास के नाम पर पूंजीवादी लालच ने इस लूट को और गति दी है - बड़े बांध और फोरलेन राजमार्ग, रेलवे जैसी अंधाधुंध निर्माण परियोजनाओं, अनियंत्रित शहरीकरण और वाणिज्यिक पर्यटन के कारण भूमि-उपयोग में अभूतपूर्व परिवर्तन से हिमालय की नदियों, जंगलों, घास के मैदानों और भूगर्भीय स्थिति बर्बाद हुयी है जिसने आपदाओं को आमंत्रित किया।

३. हम मानते हैं कि सामाज में ऐतिहासिक रूप से शोषित समुदाय - सीमान्त किसान, भूमिहीन, दलित-आदिवासी, वन निवासी, महिलायें, प्रवासी मज़दूर, घुमंतू पशुपालक, अल्पसंख्यक, दिव्यांग व्यक्ति और विवादित क्षेत्रों (conflict zones) में बसे लोग जो संसाधनों से वंचित हैं, जो इन आपदाओं के लिए जिम्मेदार भी नहीं, आज इन आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐतिहासिक भेदभाव और अन्याय के शिकार अब ये आपदाओं के चलते और सत्ताहीन- संसाधन विहीन होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मानते हैं कि सत्ताधारी समाज और नीतिनिर्धारक - जिन्होंने पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों को अपनी मल्कियत मान कर खरीद फरोक्त का सामान बना दिया है - चाहे वो विश्व, देश और राज्य चलाने वाली सरकारें हो या वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक संस्थाएं हों, या फिर कोर्पोरेट हो या खुद हमारे अपने स्थानीय नेता और ठेकेदार हों - यह पूरी व्यवस्था इन आपदाओं के लिए ज़िम्मेदार हैं।

४. संवैधानिक स्वायत्ता और समानता के मूल्यों पर आधारित नीति-कानूनों को दरकिनार कर एक तरफ बाज़ारीकरण और दूसरी तरफ राजनैतिक केन्द्रीयकरण ने हिमालयी क्षेत्रों की राजनैतिक व्यवस्था को कमज़ोर किया है। ऊपर से थोपी गयी आर्थिक सुधार की नीतियों ने पहाड़ में रहने वाले समुदायों के पारंपरिक आजीविकाएं, जीवन शैली, पारंपरिक ज्ञान और जोखिम से बचने और इनसे उभरने की क्षमता और मजबूती को भी खत्म किया है। साथ ही पर्वतीय राज्यों की वित्तीय ताकत को अन्तराष्ट्रीय ऋण आधारित परियोजनाओं ने और भी कमज़ोर किया है। धार्मिक बहुसंख्यवाद और सांप्रदायिक विचारधारा

को बढ़ावा देती राजनीति ने पहाड़ी क्षेत्रों की मानसिकता में तेज़ी से घेर लिया है और पर्यावरणीय संकट में यह ध्रुवीकरण और जटिल मुद्दों के रूप में सामने आ रहे हैं।

५. पिछले डेढ़ दशकों में विकास और राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर जनता और प्रकृति की रक्षा करने वाले प्रगतिशील कानूनों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। भूमि सुधार और आवंटन, आवास नियमितीकरण, वन अधिकार कानून, आपदा और परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास तथा श्रमिकों के अधिकार के नीति-कानून को दरकिनार कर सरकार कभी 'वन संरक्षण' के नाम पर तो कभी कार्बन सोखने के लिए हरित राज्य बनाने के नाम पर लोगों की ज़मीन से 'बेदखली' की प्रक्रिया चला देती है। जो अन्याय के विरोध पर आवाज़ उठाते हैं - उन को राष्ट्र विरोधी तो कभी विकास विरोधी बता कर प्रताड़ित किया जाता है - हम इसका खंडन करते हैं।

हम 'पीपल फॉर हिमालय' अभियान के माध्यम से अपने साझा प्राकृतिक विरासत - हिमनद, नदियों, जंगलों, जैवविविधता, चरागाहों, ज़मीनों और इन पर आश्रित विभिन्न समाजों के अस्तित्व के संघर्ष के लिए खड़े हैं। हम उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को सहभागी बना के चलेंगे जो हिमालय में लोकतांत्रिक और विकेन्द्रित शासन के पक्ष में हैं; जो दोनों विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान आधारित सतत संसाधन उपयोग और रख रखाव; समानता-आधारित और शोषण मुक्त समाज तथा पर्यावरणीय न्याय के सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं।

घोषणा पत्र में हस्ताक्षरकर्ता संगठनों की सूची

1. एफेक्टिड सिटीजन्स ऑफ तीस्ता, सिक्किम
2. ऐपवा, उत्तराखंड
3. अपिको- चिपको मूवमेंट, कर्नाटक
4. भूमिहीन भूमि अधिकार मंच, हिमाचल प्रदेश
5. बीच बचाओ आंदोलन, उत्तराखण्ड
6. चंबा वन अधिकार मंच, हिमाचल प्रदेश
7. क्लायमेट फ्रंट इंडिया, दिल्ली
8. क्लायमेट फ्रंट, जम्मू कश्मीर
9. काउंसिल फॉर सिविक डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट, सिक्किम
10. दिबांग रेजिस्टेंस, अरुणाचल प्रदेश
11. डिसोम फ़ाउंडेशन, नागालैंड
12. देवलसारी पर्यावरण समिति, उत्तराखण्ड
13. इकोटूरिज़्म एंड कंजर्वेशन सोसायटी, सिक्किम
14. फ्रेंड्स ऑफ़ लद्दाख फ्रेंड्स ऑफ़ नेचर, लद्दाख
15. जिन कॅम्पेन, उत्तराखंड
16. ग्रीन सर्कल, सिक्किम
17. हिमाल प्रकृति - ए ट्रस्ट फॉर नेचर, उत्तराखण्ड
18. हरेला, उत्तराखंड
19. हिमालय नीति अभियान, हिमाचल प्रदेश
20. हिम प्रगति फ़ाउंडेशन, हिमाचल प्रदेश
21. हिमधरा पर्यावरण समूह, हिमाचल प्रदेश
22. हिमआरआरए नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश
23. इंडजीनियस प्र्स्पेक्टिवस, मणिपुर
24. इंडियन कम्यूनिटी एक्टिविस्टस नेटवर्क, भारत
25. इंटरवेयव, सिक्किम
26. जगोरी रुरल चेरिटेवल ट्रस्ट, हिमाचल प्रदेश
27. जम्मू कश्मीर आरटीआई आंदोलन, जम्मू कश्मीर
28. जलाधारा अभियान , राजयस्थान
29. जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, उत्तराखण्ड
30. जम्मू एंड कश्मीर चोपान एसोशिएशन, जम्मू कश्मीर
31. जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कोइलेसन, जम्मू कश्मीर
32. जल जंगल जमीन, पश्चिम बंगाल
33. कश्मीर हायिक्स एंड ट्रेक्स, जम्मू कश्मीर
34. कलिमपोंग कृषक कल्याण संगठन, पश्चिम बंगाल
35. कथो स्टूडेंट यूनियन, मणिपुर

36. खोज, हिमाचल प्रदेश
37. कोशिश, जम्मू एंड कश्मीर
38. कोशी नव निर्माण मंच , बिहार
39. क्यांग , हिमाचल प्रदेश
40. कल्पवृक्ष, महाराष्ट्र
41. लोकल फ्यूचर , लद्दाख
42. मौसम, दिल्ली
43. एम के एस एस , उत्तर प्रदेश
44. एन ए पी एम , इंडिया
45. नेचर-ह्युमन पीपल सेंट्रिक मूवमेंट, जम्मू कश्मीर
46. नॉर्थिस्ट डॉयलग फ़ोरम, असम
47. पर्वतीय महिला अधिकार मंच, हिमाचल प्रदेश
48. पर्वतीय टिकाऊ खेती अभियान, हिमाचल प्रदेश
49. पीपुल फॉर हिमालयन डेवलपमेंट, हिमाचल प्रदेश
50. हिमालय में सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए अभियान, हिमाचल प्रदेश
51. सेव लाहौल स्पीती, हिमाचल प्रदेश
52. संभावना संस्थान, हिमाचल प्रदेश
53. शिमला कलेक्टिव, हिमाचल प्रदेश
54. साऊथ एशिया नेटवर्क ओन डैम्स, रिवर्स एंड पीपुल, दिल्ली
55. साउथ एशिया सोलेडेरिटी कलेक्टिव , दिल्ली
56. सिरमौर वन अधिकार मंच, हिमाचल प्रदेश
57. स्पीति सिविल सोसायटी, हिमाचल प्रदेश
58. सेव द हिल्स, पश्चिम बंगाल
59. तांदी संघर्ष समिति, हिमाचल प्रदेश
60. तितली ट्रस्ट, उत्तराखण्ड
61. थमा यू रंगली- जुकी (टीयूआर), मेघालय
62. दी रेनबो कामरेड्स, हिमाचल प्रदेश
63. वन गुज्जर ट्रायबल युवा संगठन, उत्तराखण्ड
64. उन पासो मास, दिल्ली
65. उत्तराखंड लोक वाहिनी, उत्तराखण्ड
66. वसुधैव कुटुंबकम, तेलंगाना
67. वूल्लर बचाओ फ्रंट, जम्मू कश्मीर
68. यूथ फॉर हिमालय, भारत

अधिक जानकारी के लिये:
peopleforhimalaya@gmail.com